छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

दि हितवाद परिसर, अवंति विहार, मुख्यालय – रायपुर

क्रमांक/स्था./2018/709 रायपुर, दिनांक 08/01/2018

विज्ञापन

निगम में समेकित मानदेय आधार पर, **आगामी 01 (एक) वर्ष के लिये** (आवश्यकतानुसार समयावधि में वृद्धि की जा सकती है) विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना अंतर्गत राज्य में चांवल उपार्जन कार्य से संबंधित लागत पत्रक एवं अन्य जिन्सों के लागत पत्रक तथा अन्य जानकारी तैयार करने हेतु **'कॉस्ट एकाउंटेंट'** की आवश्यकता है । इच्छुक उम्मीदवार, जो निम्नलिखित अर्हता रखते हैं, वे पूर्ण विवरण सहित अपना आवेदन पत्र **दिनांक 30.01.2018** को **सायं 5.00** बजे तक, **उपप्रबंधक (प्रशासन), छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेषन लिमिटेड, मुख्यालय – रायपुर** के नाम पर भेजें ।

क	पद का नाम	पदों की संख्या				
		अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	योग
1.	कास्ट एकाउंटेंट समेकित मानदेय वेतन रुपये 30,000/– प्रतिमाह (राज्य शासन/निगम की दर अनुसार परिवर्तनशील)	01	–	–	–	01

शैक्षणिक योग्यता – आई.सी.डब्ल्यू.ए (I.C.W.A.) फाईनल उत्तीर्ण हो ।

समेकित मानदेय आधार पर कास्ट एकाउंटेंट पद हेतु नियम एवं शर्तें –

1. उम्मीदवारों का आवेदन बायोडाटा सहित कोरे कागज पर, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति सहित **दिनांक 30.01.2018** को **सायं 5.00** बजे तक भारतीय डाक सेवा विभाग की पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट से प्रबंधक (प्रशासन), छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेषन लिमिटेड, दि हितवाद परिसर, अवंति विहार कालोनी, मुख्यालय रायपुर को अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिये । विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा । लिफाफे के ऊपर **'समेकित मानदेय आधार पर कॉस्ट एकाउंटेंट' पद हेतु, आवेदन पत्र'** अंकित होना अनिवार्य है ।
2. उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति तथा मूल निवास के संबंध में स्पष्ट उल्लेख एवं दस्तावेजी प्रमाण स्वयं द्वारा सत्यापित अनिवार्य रूप में दिया जावे।
3. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को **छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा सत्यापित स्थाई जाति प्रमाण पत्र** ही प्रस्तुत करना अनिवार्य है । स्वयं द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र ही संलग्न करेंगे।
4. उम्मीदवारों को **छत्तीसगढ़ का स्थाई मूल निवासी** होना अनिवार्य है। मूल निवासी प्रमाण पत्र को

स्वयं द्वारा सत्यापित करना अनिवार्य होगा ।

5. शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र संबंधित के नियोक्ता से **अनापत्ति प्रमाण पत्र** सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
6. वर्तमान में खींचा गया स्पष्ट पहचान वाला **पासपोर्ट साईज का एक फोटोग्राफ** आवेदन पत्र पर अच्छी तरह से चिपकाया जाए ।
7. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे ।
8. किसी भी आवेदन पत्र को मान्य/अमान्य करने संबंधी समस्त अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेंगे।
9. नियुक्ति के समय 100/– के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा।

प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित

कार्यपालन संचालक (वित्त)